



2026:AHC:17105

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या - 1638/2026

भानु प्रताप और 3 अन्य

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

श्री अभिमन्यु कुमार और 2 अन्य

..... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : नंद किशोर मिश्रा, पवन कुमार त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 9

माननीय न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल

1. रिट न्यायालय ने दिनांक 05.10.2023 को रिट-सी संख्या 30008/2023 में एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जो इस प्रकार है:-

“1. पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह याचिका निम्नलिखित राहत हेतु प्रस्तुत की गई है:

“(ए) प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात् अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय, चित्रकूट धाम मंडल, तहसील-राठ, जनपद हमीरपुर द्वारा वाद संख्या 00806/2019 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या सी201907000000806) (उदल प्रसाद बनाम भवनिदीन एवं अन्य) में, धारा 210 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 14.08.2023 को निरस्त करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति में आदेश या निर्देश जारी किया जाए, तथा साथ ही प्रतिवादी संख्या 3 अर्थात् उप-जिलाधिकारी, तहसील-राठ, जनपद हमीरपुर द्वारा वाद संख्या 582/2017 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी201707324102582) (भुविनीदीन एवं अन्य बनाम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उदल प्रसाद एवं अन्य) में, धारा 35(2) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 15.07.2019 को भी निरस्त किया जाए।”

3. नायब तहसीलदार, राठ द्वारा नामांतरण कार्यवाही में पारित आदेश दिनांक 17.07.1985 के द्वारा भगवानदास का नाम विलोपित करने तथा उनके स्थान पर उदल प्रसाद का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया गया था, जो उदल के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर किया गया था। दिनांक 28.09.2016 को मृतक भगवानदास के वारिसों द्वारा नायब तहसीलदार, राठ के दिनांक 17.07.1985 के आदेश को रिकॉल कराने हेतु पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र को नायब तहसीलदार, राठ द्वारा आदेश दिनांक 27.01.2017 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। नायब तहसीलदार, राठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2017 के साथ-साथ आदेश दिनांक 17.07.1985 के विरुद्ध, मृतक भगवानदास के वारिसों द्वारा उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष एक अपील दायर की गई थी, और उक्त अपील को उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, राठ द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.07.2019 के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 के विरुद्ध, उदल प्रसाद के वारिसों द्वारा एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिनका नाम आदेश दिनांक 17.07.1985 के द्वारा दर्ज किया गया था और यह याचिका चित्रकूट मंडल, चित्रकूट के कमिश्नर के समक्ष दायर की गई थी; उक्त पुनरीक्षण याचिका को भी खारिज कर दिया गया है।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए:

- (i) पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र 30 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया।
- (ii) संबंधित उपजिलाधिकारी द्वारा अपील इस आधार पर स्वीकार की गई कि वसीयत निष्पादित करने से पूर्व अभिलेखित भूमिधर भगवानदीन द्वारा आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी, जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार



ऐसी अनुमति वसीयत के मामले में अपितु केवल विवादित भूमि के पट्टे या विक्रय के मामले में आवश्यक होती है।

(iii) पुनरीक्षण न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र में उठाए गए आपत्तियों पर विचार किए बिना अपीलीय न्यायालय के आदेश की पुष्टि कर दी।

5. मामला विचारणीय है।

6. प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 एवं 4 की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता उपस्थित हैं।

7. प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 को नोटिस निर्गत किया जाए, जो शीघ्र तिथि पर वापसी योग्य हो। एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

8. मामले को नोटिस में निर्धारित तिथि पर सूचीबद्ध किया जाए।

9. इस बीच, पक्षकार अपने-अपने शपथपत्रों का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

10. अगली तिथि तक, पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है।”

2. अवमानना आवेदन के प्रस्तर 21 एवं 22 में यह आरोप लगाया गया है कि विपक्षी पक्ष द्वारा विक्रय का अनुबंध निष्पादित किया गया।

3. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से यह पाया गया कि अवमानना का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि रिट न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश केवल इस सीमा तक था कि प्राधिकारी यथास्थिति बनाए रखें। विक्रय अनुबंध, वास्तविक विक्रय के समान नहीं होता है, अतः विपक्षी पक्ष द्वारा रिट न्यायालय के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया है।

4. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत, अवमानना का कोई मामला नहीं बनता है।

5. अवमानना आवेदन निराधार है, अतः उसे निरस्त किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल)

17 मार्च, 2026

एस.के. गोस्वामी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।